

उपभोक्ता संरक्षण वधियक, 2019: वभिन्न आयाम

संदर्भ

हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण वधियक, 2019 (Consumer Protection Bill, 2019) संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। यह उपभोक्ता संरक्षण वधियक, 1986 का स्थान लेगा। यह वधियक उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है एवं दोषपूरण सामान या सेवाओं में कमी के मामले में शक्तियों के निवारण के लिये एक तंत्र भी प्रदान करता है।

वर्ष 1986 से लेकर अब तक उपभोक्ता बाजारों में भारी बदलाव आया है। उपभोक्ता अब वभिन्न प्रकार के अनुचित नियम एवं शर्तों के कारण भ्रम की स्थिति में हैं। वर्तमान में बदलते उपभोक्ता बाजारों में मौजूदा अधनियम की प्रासंगिकता कम हो रही है। अतः उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिये एक नए एवं संशोधित अधनियम की ज़रूरत है।

बाल की मुख्य वशिष्टताएँ नमिनलखिति हैं:

- उपभोक्ता की परभिषा

उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिये कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्तिशामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिये कसी वस्तु को हासाल करता है या कमरशयिल उद्देश्य के लिये कसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के ज़रिये किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन-देन शामिल है।

- उपभोक्ताओं के अधिकार

बाल में उपभोक्ताओं के कई अधिकारों को स्पष्ट किया गया है जिनमें नमिनलखिति शामिल हैं :

- (i) ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खलिफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिये जोखमिपूरण है।
- (ii) वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना।
- (iii) प्रतिसिरद्धा मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना।
- (iv) अनुचित या प्रतिविधि व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना।

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority- CCPA) का गठन करेगी। यह अर्थोरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी। महानदिशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा (इनवेस्टिगेशन विभाग) होगी, जो ऐसे उल्लंघनों की जाँच या इनवेस्टिगेशन कर सकती है।

CCPA नमिनलखिति कार्य करेगी

- (i) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच, इनवेस्टिगेशन और उपयुक्त मंच पर कानूनी कार्यवाही शुरू करना।
- (ii) जोखमिपूरण वस्तुओं को रीकॉल करने या सेवाओं को विदेहर्ता करने के आदेश जारी करना, चुकाई गई कीमत की भारपाई करना और अनुचित व्यापार को बंद करना।
- (iii) संबंधित ट्रेडर/मैन्युफैक्चरर/एनडोर्सर/एडवरटाइज़र/पब्लिशर को झूठे या भ्रामक विज्ञापन को बंद करने या उसे सुधारने का आदेश जारी करना।
- (iv) जुर्माना लगाना।
- (v) खतरनाक और असुरक्षित वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिउपभोक्ताओं को सेफ्टी नोटिस जारी करना।



■ भ्रामक वजिज्ञापनों के लिये जुरमाना

CCPA इूठे या भ्रामक वजिज्ञापन के लिये मैन्युफैक्चरर या एन्डोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुरमाना लगा सकती है। दोबारा अपराध की स्थितिमें यह जुरमाना 50 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरर को दो वर्ष तक की कैद की सजा भी हो सकती है जो हर बार अपराध करने पर पाँच वर्ष तक बढ़ सकती है।

CCPA भ्रामक वजिज्ञापनों के एन्डोर्सर को उस वैशिष्ट उत्पाद या सेवा को एक वर्ष तक एन्डोर्स करने से प्रतविधिभी कर सकती है। एक बार से ज्यादा बार अपराध करने पर प्रतविधि की अधिकतीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। हालाँकि ऐसे कई अपवाद हैं जब एन्डोर्सर को ऐसी सजा का भागी नहीं माना जाएगा।

■ उपभोक्ता विवाद नविरण कमीशन

ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद नविरण आयोगों (Consumer Disputes Redressal Commissions- CDRCs) का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता नमिनलखिति के संबंध में आयोग में शक्तियत दर्ज करा सकता है:

- (i) अनुचित और प्रतविधित तरीके का व्यापार
- (ii) दोषपूरण वस्तु या सेवाएँ
- (iii) अधिकी कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना
- (iv) ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को बकिरी के लिये पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिये जोखमिपूर्ण हो सकती है।

अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खलिफ शक्तियत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRCs में फाइल की जा सकती है। ज़िला CDRC के आदेश के खलिफ राज्य CDRC में सुनवाई की जाएगी। राज्य CDRC के आदेश के खलिफ राष्ट्रीय CDRC में सुनवाई की जाएगी। अंतमें अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा।

CDRCs का क्षेत्रराधिकार

- ज़िला CDRC उन शक्तियों के मामलों की सुनवाई करेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक न हो।
- राज्य CDRC उन शक्तियों के मामलों में सुनवाई करेगा, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक हो, लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो।
- 10 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की वस्तुओं और सेवाओं के संबंधित शक्तियों राष्ट्रीय CDRC द्वारा सुनी जाएंगी।

उत्पाद की ज़मिमेदारी (प्रोडक्ट लायबलिटी)

- उत्पाद की ज़मिमेदारी का अर्थ है- उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सरवसि परोवाइडर या विक्रेता की ज़मिमेदारी। यह उसकी ज़मिमेदारी है कि वह कसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिये उपभोक्ता को मुआवज़ा दे। मुआवज़े का दावा करने के लिये उपभोक्ता को वधियक में उल्लखिति खराबी या दोष से जुड़ी कम-से-कम एक शर्त को साबित करना होगा।



वधैयक से उपभोक्ताओं को लाभ

- वर्तमान में शक्तियों के नविरण के लिये उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है, जिसमें अधिक समय लगता है। कैंदरीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के माध्यम से विधियक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है।
 - भरामक विजिआपनों के कारण उपभोक्ता में भ्रम की स्थिति बिना रहती है तथा उत्पादों में मलिवट के कारण उनके स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भरामक विजिआपन और मलिवट के लिये कठोर सज्ञा का प्रावधान है जिससे ताकि इस तरह के मामलों में कमी आए।
 - दोषपूरण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिये नियमाताओं और सेवा प्रदाताओं की ज़मिमेदारी का प्रावधान होने में उपभोक्ताओं को छान-बीन करने में अधिक समय खरच करने की ज़ुरुत नहीं होगी।
 - उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रया का सरलीकरण।
 - वर्तमान उपभोक्ता बाजार के मुददों- ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिये नियमों का प्रावधान है।

अभ्यास परशन: वर्तमान युग में उपभोक्ताओं की समस्याएँ एवं उनके संभावित समाधान पर चर्चा करें।